भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 116

(24 नवंबर, 2014 को उत्तर दिए जाने के लिए)

सांसद आदर्श ग्राम योजना

116. श्री डी. कुपेन्द्र रेड्डीः

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय द्वारा हाल ही में 'सांसद आदर्श ग्राम योजना' की घोषणा की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विशेष गांवों के चुनने के लिए तय मानक क्या हैं;

(घ) क्या इसका पूरी तरह से निधियन केन्द्रीय सरकार द्वारा किया गया है और यदि हां, तो इस संबंध में किया गया बजटीय आंवटन क्या है; और

(ङ) निर्धारित लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है और इससे कितने गांवों को फायदा होने की उम्मीद है?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्री

(श्री बीरेन्द्र सिंह)

(क) जी, हां।

(ख) सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्तूबर, 2014 को शुरू की गई और इसके दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। महात्मा गांधी की ग्रामीण विकास की संकल्पना आदर्श ग्राम के विकास पर केंद्रित है। सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) का उद्देश्य मौजूदा संदर्भ में आदर्श गांवों के विकास के द्वारा स्वराज को सुराज में बदलने की महात्मा गाधी की परिकल्पना को साकार करना है। इस स्कीम का उद्देश्य मात्र बुनियादी ढांचे के विकास से कहीं अधिक गांवों और वहां के निवासियों में जन भागीदारी, अंत्योदय, महिला-पुरूष समानता, महिलाओं का आदर, सामाजिक न्याय, श्रम का सम्मान, सामुदायिक सेवा की भावना, स्वच्छता, पर्यावरण की अनुकूलता, पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने, शांति और

सदभाव, आपसी सहयोग, स्वावलंबन, स्थानीय स्वशासन, सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता और जवाबदेही इत्यादि जैसे मूल्यों का विकास करना है, ताकि वे गांव और वहां के रहने वाले अन्य गांवों के लिए आदर्श बन सकें।

(ग) माननीय संसद सदस्यों द्वारा आदर्श ग्राम पंचायतों के निर्धारण के लिए ग्राम पंचायत आधारभूत इकाई है। ग्राम पंचायत की आबादी मैदानी क्षेत्रों में 3000-5000 और पर्वतीय, जनजातीय एवं दुर्गम क्षेत्रों में 1000-3000 होनी चाहिए। जिन जिलों में इतनी आबादी वाली पंचायतें उपलब्ध न हों, उन जिलों में वांछनीय आबादी के लगभग बराबर आबादी वाली ग्राम पंचायतों का चयन किया जाए। जिन राज्यों में ग्राम पंचायतों की आबादी अधिक हो, उनमें संसद सदस्य (एम पी) किसी भी एक ग्राम पंचायत का चयन कर सकते हैं क्योंकि बुनियादी इकाई ग्राम पंचायत है। संसद सदस्य आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करने हेतु स्वयं अपने गांव या अपने/अपनी पति/पत्नी के गांव को छोड़कर किसी भी अन्य उपयुक्त गांव का चयन करने के लिए स्वतंत्र हैं। संसद सदस्य तत्काल एक ग्राम पंचायत और आगे चलकर दो अन्य ग्राम पंचायतों का निर्धारण करेगा। लोक सभा संसद सदस्य को अपने निर्वाचन क्षेत्र और राज्य सभा संसद सदस्य को अपने निर्वाचन राज्य के किसी जिले के ग्रामीण क्षेत्र की किसी ग्राम पंचायत का चयन करना है। नामित संसद सदस्य देश के किसी भी जिले के ग्रामीण क्षेत्र की किसी भी ग्राम पंचायत का चयन कर सकते हैं। शहरी निर्वाचन क्षेत्रों के मामले में (जहां कोई ग्राम पंचायत नहीं है), संसद सदस्य निकटवर्ती ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र की किसी ग्राम पंचायत का निर्धारण करेंगे।

(घ) इस स्कीम में वित्तपोषण का कोई प्रावधान नहीं है। इसका मुख्य लक्ष्य लोगों में ऐसी क्षमता विकसित करना है जिससे वे अपने गांव के लिए गर्व की भावना महसूस कर सकें, सामाजिक संरचना/व्यवहार में बदलाव के लिए प्रोत्साहित हों, सामूहिक जिम्मेदारी संभाल सकें और जन परियोजनाएं शुरू कर सकें। इस उद्देश्य की प्राप्ति अवसंरचना या निर्माण के लिए अतिरिक्त निधियों का आवंटन या नई स्कीमें शुरू किए बिना मौजूदा सरकारी स्कीमों और कार्यक्रमों के तालमेल एवं कार्यान्वयन के माध्यम से सुनिश्चित की जानी है। इस स्कीम के तहत यथा अनुमोदित इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने केंद्र सरकार के संगत मंत्रालयों/विभागों के सचिवों से अनुरोध किया है कि वे अपनी-अपनी केंद्रीय क्षेत्र की और केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों/कार्यक्रमों के दिशा-निर्देशों में जहां कहीं उपयुक्त हो, वहां बदलाव करें, ताकि एसएजीवाई के अंतर्गत चयनित ग्राम पंचायतों को प्राथमिकता दी जा सके।

(ङ) मुख्य लक्ष्य मार्च, 2019 तक तीन आदर्श ग्रामों का विकास करना है, जिनमें से एक आदर्श ग्राम का विकास वर्ष 2016 तक किया जाएगा। उसके बाद ऐसे पांच और आदर्श ग्रामों (हर वर्ष एक) का चयन और विकास वर्ष 2024 तक किया जाएगा। तदनुसार, आशा है कि वर्ष 2024 तक इस स्कीम के अंतर्गत लगभग 6400 ग्राम पंचायतों को चयनित और विकसित कर दिया जाएगा।

*****